

कार्यालय नगरपालिका परिषद हाटा, (कुशीनगर)

कोटेशन सूचना

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद हाटा, (कुशीनगर) के विद्युत व्यवस्था सुदृढीकरण एवं साफ सफाई हेतु राज्य वित्त/निकाय निधि से प्राप्त धनराशि से निम्नलिखित सामग्री क्रय किया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक फर्म/व्यक्ति जिलाधिकारी कुशीनगर के कार्यालय पर मोहर बन्द कोटेशन दिनांक-29.08.2017 को अपराह्न 1 बजे तक दे सकते हैं जो उसी दिन सांयकाल 3 बजे दिन में उपस्थित काटेशनदाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। उक्त से संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांयकाल 5 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

क्र०	सामग्री का विवरण	जमानत की धनराशि	दर प्रति अदद
1	एल0ई0डी0 हाईमास्ट (9मी0 ग्लोवनाईज्ड पोल, 6x120 वाट एल0ई0डी0 फ्लड लाईट (हैवेल्स) संस्थपना सहित।	50,000.00	
2	एल0ई0डी0 हाईमास्ट (20 मी0 ग्लोवनाईज्ड पोल मोटराईज्ड मास्ट , 16x240 वाट एल0ई0डी0 फ्लड लाईट (हैवेल्स) संस्थपना सहित।		
3	एल0ई0डी0 लाईट कम्पलीट सेट विभिन्न वाट		
4	कूड़ा पात्र 240 ली0 एवं 650 ली0	10,000,.00	
5	हाथ ठेला		

नियम एवं शर्तें:-

- वे सभी व्यक्ति एवं फर्म अपनी निविदा दे सकते हैं, जो उपरोक्त सामग्रियों के आपूर्ति एवं व्यवसाय का कार्य करते हैं, एवं जो आयकर व्यापार कर विभाग से पंजीकृत हैं।
- कोटेशनदाता को कोटेशन के साथ जमानत के रूप में एफ0डी0आर0, बैंक ड्राफ्ट या एम0ए0 सी0-5 पर नकद कैश अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद हाटा के नाम उनके पक्ष में जमा करना होगा।
- कोटेशनदाता को अपने कोटेशन में स्पष्ट दर के साथ पूर्ण तकनीकी विवरण देना होगा।
- कोटेशनदाता को अपने द्वारा आपूर्ति किये गये सामग्रियों की गारन्टी भी देनी होगी।
- कोटेशनदाता की दर स्वीकृत होने के उपरान्त पुनः दरों में किसी भी आधार पर कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।
- कोटेशनदाता को अपने व्यय से 100 रु0 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
- जो फर्म/ठेकेदार निर्धारित मानक के अनुसार कार्य नहीं करेगा या मानक के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति नहीं करेगा तो भा0द0सं0 के अन्तर्गत यह कृत्य अपराध माना जायेगा तथा फर्म/ठेकेदार के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- बिना कोई कारण बताये किसी भी कोटेशन को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, हाटा
(कुशीनगर)

पत्रांक- 358(ii)/ न0पा0प0हाटा/2017-18

दिनांक- 23 अगस्त 2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित :-

- जिलाधिकारी, कुशीनगर।
- उपजिलाधिकारी हाटा (कुशीनगर)।
- प्रभारी अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, कुशीनगर।
- सम्पादक/प्रतिनिधि समाचार पत्र "स्वतंत्र भारत एवं न्यूज फॉक्स" को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति के आलेख का प्रकाशन कुशीनगर अंक में करारकर सम्बंधित समाचार पत्र की अतिरिक्त प्रति सहित बिल प्रस्तुत करें।
- कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चर्षा हेतु।


अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद हाटा
(कुशीनगर)